# झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

**डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–694 वर्ष 2017**

लाल बाबू सिंह ..... ..... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिला–धनबाद

2.. शाखा प्रबंधक, झरिया शाखा, केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया, जिला–धनबाद

..... ..... उत्तरदातागण

**कोरम :** **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

याचिकाकर्ता के लिए :– मेसर्स अजित कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता
अपराजिता भारद्वाज, अधिवक्ता

उत्तरदाता–बैंक के लिए :– श्रीमती ए0आर0 चौधरी, अधिवक्ता

2 / 14.2.2017 पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

याचिकाकर्ता खाता संख्या–1, प्लॉट संख्या–1163 का हिस्सा, क्षेत्रफल–4.12 दशमलव, मौजा–कलाकुस्म संख्या–12, धनबाद स्थित परिसर से सील हटाने की मांग की है और कहा है कि उसने 14 जून, 2000 और 31 जुलाई, 2013 को दो बिक्री विलेखों के माध्यम से, राजेश कुमार गुप्ता से खरीदा है। उक्त संपत्ति प्रतिवादी–सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अनुरोध पर सरफेसी कार्यवाही की विषय वस्तु थी।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वकील ने कहा कि संपत्ति पर कब्जा करने के बाद उसको बिक्री प्रमाण पत्र दिनांक 7 फरवरी, 2014 के अनुसार ही नीलाम बिक्री की गई है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना इस न्यायालय द्वारा रिट क्षेत्राधिकार में विचार करने योग्य नहीं है क्योंकि ऋण वसूल न्यायाधिकरण के समक्ष सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 17 के प्रावधानों के तहत पीड़ित व्यक्ति के लिए एक उपाय है। उत्तरदाता बैंक के वकील ने यह भी कहा कि तथ्य के विभिन्न प्रश्न जो साक्ष्य पर भी निर्भर करते हैं, उन्हें इस न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र में निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने उधारकर्ता की बिक्री विलेख के जाली होने के आरोप के संबंध में उत्तरदाता बैंक द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज करने से संबंधित कुछ तथ्यों को भी प्रस्तुत किया है।

इन सभी तथ्यों पर विचार करने पर, इस न्यायालय का विचार है कि 2002 के अधिनियम की धारा 17 के तहत एक वैकल्पिक वैधानिक उपाय की उपस्थिति में और (2010) 8 एस0सी0सी0 110 में प्रकाशित यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम सत्यवती टंडन और अन्य मामले में शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के मद्देनजर, याचिकाकर्ता अधिनियम के तहत बनाए गए उचित मंच से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए, यह न्यायालय वैकल्पिक वैधानिक उपाय की उपलब्धता के कारण रिट याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है।

तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)